न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 54/2023

अपीलांट –
मंगलाराम पुत्र खेमाराम जाति भील निवासी हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. तहसीलदार बाड़मेर
2. सवाईराम पुत्र मूलाराम
3. बनाराम पुत्र मूलाराम
4. मदन पुत्र मूलाराम
5. रूपो पुत्र मूलाराम (उतरदाता संख्या 3 से 5 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सुआ देवी)
6. पदमाराम पुत्र बांकाराम
7. दलाराम पुत्र बांकाराम
8. हंजारीराम पुत्र बाकाराम
9. चांदीदेवी पत्नि बांकाराम
10. पताराम पुत्र हीरा
11. नारणाराम पुत्र हीरा
12. वीराराम पुत्र हीरा
13. मनीष कुमार पुत्र करनाराम
14. श्रवण कुमार पुत्र करनाराम
15. प्रियंका पुत्री करनाराम
16. कमला पुत्री करनाराम
17. संगीता पुत्री करनाराम
18. गीता पुत्री करनाराम (उतरदाता संख्या 13 से 18 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता धन्नीदेवी)
19. रमेश कुमार पुत्र भगा
20. खेतु देवी पत्नि भगा
21. आदू पुत्र भेरा
22. उगरा पुत्र भेरा
23. राजूराम पुत्र अमराराम
24. [illegible]म पुत्र अमराराम (उतरदाता संख्या [illegible] 24 [illegible]बालिग जरिये कुदरती वलिया [illegible] जमना देवी)
25. [illegible]पु बेवा भेरा जाति भील [illegible]सी हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 1740 दिनांक 01.04.2021 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री सवाईसिंह, रेस्पो0 सं. 2 एंव 24 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. रेस्पो0 सं. 1 प्रर्फोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 09.12.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 1740 दिनांक 01.04.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा हाथीतला पटवार मण्डल उण्डखा में खेत खसरा संख्या 54 रकबा 0.05 बीघा एवं खसरा नंबर 223 / 55 रकबा 125.13 बीघा भूमि खातेदारान सवाईराम, बनाराम, मदन, रूपो पि0 मूलाराम, बनाराम, मदन रूपो की वली सुआ देवी पत्नी मूलाराम, पदमाराम, दलाराम, हंजारीराम पि0 बांकाराम, चांदीदेवी धर्मपत्नी स्व0 श्री बांकाराम, पताराम, नारणाराम, वीराराम पि0 हीरा, मनिष कुमार, श्रवण कुमार, प्रियंका, कमला, संगीता, गीता पि0 करनाराम, मनिष कुमार, श्रवण कुमार, प्रिंयका, कमला, संगीता, गीता ना. बाकृकी वली माता धन्नी देवी धर्मपत्नी करनाराम, रमेश कुमार वल्द भगा, खेतु देवी पत्नी स्व0 भगा, आदू, उगरा पि0 भेरा, राजुराम, देवाराम पि0 अमराराम, ना.बा. की कुदरती पत्नी माता जमना देवी पत्नी अमराराम, धापू बेवा भेरा, मंगला वल्द खेमा कौम भील साकिन हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 26.03.2021 को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी हाथीतला की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 1740 दिनांक 01.04.2021 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.10.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के भीतर [illegible] रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि मौजा हाथीतला पटवार मण्डल उण्डखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

में खेत खसरा संख्या 54 रकबा 0.05 बीघा एवं खसरा नंबर 223/55 रकबा 125.13 बीघा भूमि आई हुए हैं। उक्त भूमि में अपीलांट एवं रेस्पों संख्या 02 से 24 अपने–अपने हिस्सों माफिक बाहमी तौर से किए गए बंटवाडा अनुसार माफिक कृषि जोतो का विभाजन करने बाबत उत्तरदाता संख्या 01 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उत्तरदातागण संख्या 02 से 25 का विश्वास कर अपीलांट ने कुछ खाली पेपरों पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशानात किये। अपीलांट द्वारा पुछने पर उत्तरदातागण संख्या 2 से 25 द्वारा बताया गया कि उक्त नक्शा में पटवार हल्का मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार ढाणी, पानी के टांके, चारवाड़े को बिना प्रभावित करते हुए सही रंग भरेगें, परन्तु उत्तरदाता संख्या 02 से 25 ने हल्का पटवारी से मिलावट कर नक्शा अपनी मर्जी से भरवा कर दिनांक 01.04.2021 को बंटवाडा करवा दिया, जो निरस्त योग्य है। अपीलांट व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि इस विभाजन के नक्शे का ज्ञान अपीलांट को नहीं हुआ तथा अरसा कुछ दिन पूर्व बरसात होने पर उतरदाता संख्या 02 से 25 द्वारा अपने हिस्से की जमीन पर काश्त कर अपीलांट के आने जाने के रास्ते बिल्कुल अवरूध कर दिया तथा अपीलांट का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया तथा अपीलांट के आवागमन मे बाधाए डाल कर आवागमन के रास्ते अवरूध किया तब पुछने पर उक्त बंटवाडा बाबत बताया। जिस पर अपीलांट को अपने हक संशयप्रद लगे तब अपीलांट ने उक्त सहमति विभाजन की हल्का पटवारी से नकलें मांगी जो नकले अपीलांट को दिनांक 22.09.2023 को प्राप्त हुई। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का भी निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 25 सूचना बावजूद रहने से एकपक्षीय सुनवाई की गई।

7. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा हाथीतला पटवार मण्डल उण्डखा में खेत खसरा संख्या 54 रकबा 0.05 बीघा एवं खसरा नंबर 223/55 रकबा 125.13 बीघा भूमि [illegible] सवाईराम, बनाराम, मदन, रूपो पि0 मूलाराम, बनाराम, [illegible] देवी पत्नी मूलाराम, पदमाराम, दलाराम, हंजा[illegible] चांदीदेवी धर्मपत्नी स्व0 श्री बांकाराम, पताराम, नारणाराम, वीराराम पि0 [illegible]रा, मनिष कुमार, श्रवण कुमार, प्रियंका, कमला, संगीता, गीता पि0 करनाराम, मनिष कुमार, श्रवण कुमार, प्रिंयका, कमला, संगीता, गीता ना. बाकृकी वली माता धन्नी देवी धर्मपत्नी करनाराम, रमेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कुमार वल्द भगा, खेतु देवी पत्नी स्व0 भगा, आदू, उगरा पि0 भेरा, राजुराम, देवाराम पि0 अमराराम, ना.बा. की कुदरती पत्नी माता जमना देवी पत्नी अमराराम, धापू बेवा भेरा, मंगला वल्द खेमा कौम भील साकिन हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 26.03.2021 को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी हाथीतला की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 1740 दिनांक 01.04.2021 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.10.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन विभाजन मौके पर भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास के अनुसार नहीं किया गया। जिससे अपीलांट की ढाणी, पानी के टांके, चारवाड़े इत्यादि उतरदातागण के हिस्से मे चली गई। पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवाडे अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जे काश्त में भारी भिन्नता है। इसके अलावा अधिवक्ता अपीलांट का यह भी कथन है कि उक्त बंटवाडा मे उतरदातागण द्वारा अपने आपको रोड़ से जोड़ा है तथा अपीलांट के हिस्से मे दी गई जमीन को रोड़ से नहीं जोड़ा गया है जिससे अपीलांट के हिस्से की जमीन को चारो तरफ से बंद कर दिया गया है तथा अपीलांट के आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से उक्त उक्त बंटवाडा निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता हैं कि अपीलांट स्वंय द्वारा विभाजन हेतु प्रस्तावित नक्शा पर सहमति प्रकट कर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ अंकित किये हैं, तथा इस प्रकार जब एक बार सहमति दी हैं तो अब पुनः इन्कार नही कर सकता हैं। जहां तक इस अपील में मयाद का प्रश्न हैं तो अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन स्वीकृत किया जाना प्रकट होता है ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा जानकारी होने के बावजूद इस अपीलाधीन सहमति बंटवाडे के करीब 2 वर्ष 6 माह बाद हस्तगत अपील पेश की गई है तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया है। इस प्रकार हस्तगत अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचन/विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने व सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:22 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर